न्यायालय सहायक कलेक्टर, रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.)

राजस्व वाद सं. : 350/2021
अंतर्गत धारा 91 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम
बईजलास : सुरेश कुमार, आर. ए. एस.

वादी :–

रामलाल पुत्र श्री पेमाराम, जाति जाट, निवासी रावतखेड़ा, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1– उगमाराम पुत्र श्री मोती
2– गोपाल पुत्र श्री मोती
3– जगदीश पुत्र श्री मोती
4– दुर्गाराम पुत्र श्री मोती
5– शांतिदेवी पुत्री श्री मोती
6– शोभादेवी पुत्री श्री मोती
जातयान जाट, निवासीगण लाडपुरा, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
7– धर्माराम पुत्र श्री पेमाराम, जाति जाट, निवासी रावतखेड़ा, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.)
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी
9– पटवारी हल्का, लाडपुरा
10– उप पंजीयक, भैरून्दा

निर्णय

दिनांक : 24/12/2

वादी ने यह वाद बाबत रेकर्ड दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रावतखेड़ा की सरहद में स्थित खेत पुराने खसरा नं. 868 रकबा 64 बीघा 02 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा की भूमि मोतीराम पुत्र बलदेव, उगमाराम, जगदीश, रामचन्द्र, गोपालराम पि. मोतीराम जाट, निवासी लाडपुरा की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। उक्त मोतीराम पुत्र बलदेव, उगमाराम, जगदीश, रामचन्द्र, गोपालराम पि. मोतीराम जाट, निवासी लाडपुरा से उसका 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 15–08–2001 के वादी ने खरीद कर लिया। जिस पर वादी का काश्त व कब्जा चला आ रहा है। मौजा रावतखेड़ा की सरहद में स्थित खेत पुराने खसरा नं. 868 रकबा 64 बीघा 02 बिस्वा में से 1/8 हिस्सा की भूमि पांचुड़ी पत्नी श्री कालूराम, जाति जाट, निवासी रावतखेड़ा की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। उक्त पांचुड़ी से उसका 1/8 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 07–08–1991 के प्रतिवादी सं. 7 ने खरीद कर लिया। जिस पर प्रतिवादी सं. 7 का काश्त व कब्जा चला आ रहा है। अभी वर्तमान सेटलमेन्ट में पुराने खसरा नं. 868 के नये खसरा नं. 892 रकबा 1.6000 हैक्टेयर, खसरा नं. 893 रकबा 3.2000 हैक्टेयर, खसरा नं. 894 रकबा 0.0100 हैक्टेयर व खसरा नं. 895 रकबा 5.5600 हैक्टेयर कुल रकबा 10.3700 हैक्टेयर कायम किये गये, मगर उक्त खसरा की भूमि में राजस्व कर्मचारियों में सहवन से प्रतिवादी सं. 7 का 1/16 हिस्सा दर्ज कर दिया। जो महज एक लिपिकीय भूल है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। इसी प्रकार खसरा नं. 868 के नये खसरा नं. 892 रकबा 1.6000 हैक्टेयर, खसरा नं. 893 रकबा 3.2000 हैक्टेयर, खसरा नं. 894 रकबा 0.0100 हैक्टेयर व खसरा नं. 895 रकबा 5.5600 हैक्टेयर कुल रकबा 10.3700 हैक्टेयर की खातेदारी में पूर्व खातेदार मोतीराम पुत्र बलदेव, उगमाराम, जगदीश, रामचन्द्र, गोपालराम पि. मोतीराम जाट, निवासी लाडपुरा व इनके उत्तराधिकारीगण का नाम पुनः

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला – नागौर

खातेदारी में दर्ज कर दिया तथा मोतीराम के स्वर्गवास के बाद इनके उत्तराधिकारियों के नाम फौतगी नागांतरकरण प्रक्रियाधीन कर दया, जबकि 1/2 हिस्सा की भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। जिससे उक्त राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादी ने इस अशुद्धि को दुरूस्त करवाने के लिए प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 को कई बार कहा, मगर प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 हमेशा प्रार्थी को आश्वासन देते रहे है। मगर अब प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 इंकार हो गये है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 बदनियति पर आमादा है तथा गलत रूप से खातेदारी में नाम दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि में वादी के काश्त व कब्जा में दखल करने, अन्यत्र बेचान व हस्तान्तरण करने तथा वादी को बेदखल करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं यदि प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तथाा वादी को बेदखल कर दिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वादी के हक व अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा। जिससे वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वादी ने अभी एक माह पूर्व प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 से उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करने का निवेदन किया व उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया तो प्रतिवादीगण ने उक्त संशोधन करने से इंकार कर दिया तथा प्रतिवादगीगण सं. 1 से 6 ने वादी के काश्त व कब्जा में दखल करने, वादी को बेदखल करने तथा अन्यत्र बेचान व हस्तान्तरण करने की ऐलानिया धमकी दी। जिससे वादी को न्यायालय की शरण में आना जरूरी हुआ। अंत में वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जवाब हेतु तलब किया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादी सं. 7 उपस्थित। जवाब पेश नहीं किया। जिससे इकने विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजों पर प्रदर्श लगाये गये एवं प्रतिवादी सं. 7 के बयान करवाये गये। उपरोक्त वाद के तथ्यों का विवेचन किया गया एवं वकुलाय वादी की बहस पर मनन किया। जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा रावतखेड़ा की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 868 के नये खसरा नं. 892 रकबा 1.6000 हैक्टेयर, खसरा नं. 893 रकबा 3.2000 हैक्टेयर, खसरा नं. 894 रकबा 0.0100 हैक्टेयर व खसरा नं. 895 रकबा 5.5600 हैक्टेयर कुल रकबा 10.3700 हैक्टेयर की भूमि में प्रतिवादी सं. 7 धर्माराम के नाम 1/16 के स्थान पर 1/8 हिस्सा दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुंरूस्त किया जाता है तथा पूर्व खातेदार मोतीराम पुत्र बलदेव, उगमाराम, जगदीश, रामचन्द्र, गोपालराम पि. मोतीराम जाट, निवासी लाडपुरा व इनके उत्तराधिकारीगण के स्थान पर वादी रामलाल का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा वादी के पक्ष में माफिक इस्तदुआ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
सहायक कलेक्टर
जिला नागौर
रियांबड़ी

आज दिनांक को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
सहायक कलेक्टर
जिला – नागौर
रियांबड़ी